कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की
कार्यकारी समिति की छठी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 21.08.2020
समय : अपराह्न 04:00 बजे।
स्थान : कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय सभागार, सचिवालय, लखनऊ।

जारी
25/8/2020

उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की छठी बैठक बोर्ड के पदेन अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–2951/एमएस/एसजी/2020 दिनांक–10.08.2020 के अनुपालन के क्रम में निर्देशित एजेण्डे के अनुसार बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उक्त तिथि एवं समय के अनुसार कृषि उत्पादन आयुक्त सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में सदस्य संयोजक द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके क्रम में मा0 कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय/दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

एजेण्डा संख्या–1

कार्यकारी समिति की पाँचवी बैठक दिनॉक– 24.10.2018 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना।

कार्यवाही–

सदस्य संयोजक द्वारा बोर्ड के कार्यकारी समिति की पाँचवी बैठक दिनांक–24.10.2018 की अनुपालन आख्या का प्रस्तुत किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा इस पर पूर्ण सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा संख्या–2

वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का प्रस्तुतीकरण एवं मा0 कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

कार्यवाही–

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा वित्तीय वर्ष 2019–2020 में बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें संगठित करते हुए जैव ऊर्जा उत्पादक कृषक समूह/फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के रूप में स्थापित किया गया। बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन मे गठित इन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को जोड़ कर सीधे तौर पर किये गये महत्वपूर्ण कार्यों जिसमें लेमनग्रास, पामारोजा, खस, सहजन एवं बांस के साथ–साथ विभिन्न औषधीय फसलों की समूहगत आधारित कृषि, प्राथमिक विधायन एवं विपणन विषयक प्रस्तुतीकरण मा0 कार्यकारी समिति के समक्ष किया गया जिसे कार्यकारी समिति में उपस्थिति समस्त सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा काफी सराहा गया। लेमनग्रास की कृषि हेतु पौध/ रोपण सामग्री की लागत मद में रू0 12,200/–प्रति एकड़, पामारोजा की कृषि हेतु रू0–9,000/– प्रति एकड़, खस की कृषि हेतु रू0 –15,500/– प्रति एकड़, बांस की कृषि हेतु रू0 12,800/– प्रति एकड़ तथा सहजन हेतु रू0 1,000/– प्रति एकड़ का क्लस्टर आधारित सशर्त व्यावसायिक प्रदर्शन सहायता सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को प्रदान की गयी। उक्त कृषिकरण/औद्यानिकी हेतु आवश्यक श्रम निवेश सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के लाभार्थी किसानों द्वारा वहन की गयी। बोर्ड द्वारा इनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का कार्य भी सरलतापूर्वक किया गया। इस हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का कृषि विपणन

निदेशालय के सहयोग से e-NAM. e-Charak तथा APEDA की वेबसाइट पर भी पंजीयन कराया गया, जिससे इनके उत्पादों को सीधे राष्ट्रीय बाजार में आसान पहुँच हो गयी। यह कार्य सतत् रूप से जारी है।

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रियान्वित किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जैव ऊर्जा उत्पादक कृषक समूहों को सुदृढ़ीकृत कर एफ0पी0ओ0 का गठन करना, बी0ई0एम0सी0 मॉडल बायोगैस इकाईयों की स्थापना करना, प्रदेश में स्थापित होने वाले जैव ऊर्जा उद्यमों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ 2018 में सहभागिता के आलोक में बोर्ड को श्रेष्ठ सजीव प्रदर्शन पुरस्कार की प्राप्ति, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में कृषि विभाग तथा पर्यावरण विभाग को सहयोग प्रदान करना, कृषक उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी करना, नेशनल वर्कशाप आन प्रोमोटिंग हेल्दी डाइट्स थ्रो लोकल फूडस सिस्टम कार्यक्रम में सहभागिता कर बोर्ड द्वारा गठित एफ0पी0ओ0 के उत्पादों का प्रदर्शन करना, अन्ना प्रथा (छुट्टा जानवरों की समस्या) के निवारण हेतु प्रयास करना, किसानों से प्रत्यक्ष संवाद कर उन्हें कृषक उद्यमिता हेतु प्रेरित करना सम्मिलित है। इसी अवधि में बोर्ड के तकनीकी सहयोग से कार्यरत जैव अपशिष्टों से बायो–सी0एन0जी0 उत्पादन करने वाले प्रदेश के अग्रणी युवा उद्यमी को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सर्टिफिकेट आफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पूर्व से क्रियान्वित किये जा रहे एफ0पी0ओ0 के गठन कार्यक्रम की निरंतरता बनाये रखते हुए उनसे जुड़े किसानों के सहयोग से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत लेमनग्रास पामारोजा, खस, बाँस तथा सहजन के साथ–साथ औषधीय पौधों के कृषिकरण का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त बी0ई0एम0सी0 मॉडल बायोगैस इकाईयों की स्थापना एवं व्यावसायिक बायो–सी0एन0जी0 / सी0बी0जी0 इकाईयों की स्थापना हेतु आवश्यक नीतिगत समन्वय प्रदान करना, जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में कृषि विभाग तथा पर्यावरण विभाग को सहयोग प्रदान करना, कृषक उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का वॉलण्टरी संचालन करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना, किसानों से प्रत्यक्ष संवाद कर उन्हें कृषक उद्यमिता हेतु प्रेरित करना, बी0ई0एम0सी0 मॉडल बायोगैस इकाईयों की स्थापना हेतु राजमिस्त्रियों का आन–जाब प्रशिक्षण, विश्व योग दिवस के अवसर पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के उत्पादों का राज भवन में गणमान्य अतिथियों के समक्ष प्रदर्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं। उक्त दोनों वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यों के सापेक्ष हुए व्यय के विवरण के रूप में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा ऑडिट की गयी बैलेंसशीट प्रस्तुत की गयी। इस विषय पर विस्तृत परिचर्चा के उपरांत बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अनुमोदित कर दिया गया।

(कार्यवाही : नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–3 : जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति के सुदृढ़ीकरण प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

<u>कार्यवाही</u>: जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति का गठन नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–521 / 35–1–12 दिनांक 30 अप्रैल 2012 द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा सेक्टर के विकास हेतु किया गया था। बोर्ड के गठन तथा प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के लागू होने के उपरान्त जनपद स्तर पर उक्त समिति के सुदृढ़ीकरण की महती आवश्यकता है। इससे न सिर्फ जैव ऊर्जा उद्यमियों को उद्यम स्थापना में मदद मिलेगी बल्कि जैव ऊर्जा उत्पादों के भण्डारण, परिवहन तथा फुटकर बिक्री हेतु आवश्यक लाइसेंस निर्गत होने का कार्य आसान हो जायेगा। पर्यारवण संरक्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की

प्रक्रिया आसान हो जायेगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों द्वारा किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा सत्त मानिटरिंग की प्रक्रिया भी सरल हो जायेगी।

समिति को अवगत करना है कि बोर्ड द्वारा वित्तीय 2017–18 में प्रारम्भ किये गये एस0पी0वी0 (कृषक क्लस्टर) आधारित व्यावसायिक कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम संस्थागत स्वरूप लेते हुए फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी नेटवर्क के रूप में स्थापित हो गया है। यह नेटवर्क दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वित्तीय सत्र 2019–20 में प्रदेश के **46 जनपदों में** 143 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियॉ गठित हो चुकी हैं जिनमें लगभग 60 हजार किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। अतः बोर्ड मुख्यालय से वर्चुअल मानिटरिंग का कार्य दिन–प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। वर्तमान समय तक बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की वर्चुअल मॉनिटरिंग के साथ–साथ यथा–आवश्यकता बोर्ड मुख्यालय से कार्मिकों को भेजकर भौतिक सत्यापन कराते हुए कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में बोर्ड का जनपद स्तर पर कोई प्रतिनिधि कार्यालय न होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं में निरंतरता बनाये रखने में कतिपय तकनीकी बाधाएँ भी समय–समय पर परिलक्षित हो रही है। उक्त विवरण के आलोक में जैव ऊर्जा उद्यमों के सत्त विकास तथा बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों की निरन्तरता एवं उसके विस्तार हेतु उक्त समिति का सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यकारी समिति का अनुमोदन सादर निवेदित है।

इस प्रस्ताव के क्रम में बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में उपस्थित अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0–एफ0नं0 28011/2020–एम–2 (पीएल) दिनांक–29 फरवरी, 2020 के अनुपालन के क्रम में प्रदेश में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन तथा उसकी निरंतरता बनाये रखने हेतु कृषि विभाग के आदेश सं0–966/12–2–2020–1/2019 दिनांक–27 मई, 2020 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परामर्शी समिति तथा जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य की एफ0पी0ओ0 पॉलिसी प्रख्यापन का कार्य प्रकियागत है। अतः एफ0पी0ओ0 से सम्बन्धित कार्य नीति प्रख्यापित होने के उपरांत इसी समिति के द्वारा जनपद स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा। अन्तरिम अवधि में बोर्ड द्वारा पूर्व से संचालित परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन तथा मॉनिटरिंग के कार्य हेतु विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग/उद्यान विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी/अधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत कर दिया जाये। जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही पर निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाना उचित होगा। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(कार्यवाही : नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–4 : वित्तीय वर्ष 2020–2021 में शासन द्वारा प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना के कियान्वयन की सहमति प्राप्त करना :

<u>कार्यवाही</u> : सदस्य संयोजक द्वारा मा0 कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासन द्वारा निम्न विवरण के अनुसार बजट प्राविधान बोर्ड को प्राप्त हुआ है:–

1. मद संख्या – 20 –सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)–रू0 100.00 लाख
2. मद संख्या – 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)–रू0 54.00 लाख

उक्त प्राविधानित बजट के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय सत्र हेतु निम्नलिखित स्वीकृतियॉ प्राप्त हुई हैं–

3. मद संख्या – 20 –सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)–रू0 75.00 लाख
4. मद संख्या – 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)–रू0 54.00 लाख

उक्त आलोक में कार्यकारी समिति को अवगत करना है कि नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक–21 फरवरी, 2018 द्वारा जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु सं0–4.3.4 के अनुपालन के क्रम में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी दिशा–निर्देश के बिन्दु सं0–10.0 के अनुपालन के क्रम में बोर्ड को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का गठन करते हुए किसानों कृषि हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर विभिन्न प्रकार के बायोमॉस उत्पादन तथा औषधीय एवं सगंध कृषि कार्य क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये थे।

कोविड–19 महामारी जन्य परिस्थितियों में शासन द्वारा घोषित लाकडाउन अवधि में प्रवासी मजदूरों को उनके गॉव में ही सतत रोजगार/स्वरोजगार अवसरों के सृजन विषयक प्रस्ताव विभिन्न विभागों से मॉगे गये। इस आलोक में बोर्ड द्वारा 1,05,000 व्यक्तियों हेतु 50 कार्यदिवस का रोजगार उपलब्ध कराने विषयक प्रस्ताव तैयार किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के नेतृत्व में दिनांक 07 मई, 2020 को शासन के अन्य विभागों के साथ बोर्ड को भी अपने प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव में किसानों के आय संर्वद्धन, युवाओं हेतु स्वरोजगार अवसरों के सृजन के साथ–साथ गॉव में ही प्रवासी मजदूरों हेतु सतत रोजगार अवसरों के सृजन विषयक बोर्ड के प्रस्ताव की काफी सराहना हुई। तत्क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत कृषक सशक्तिकरण परियोजना का शासनादेश सं0–671/अड़तीस–7–2020–156नरेगा/2012 दिनांक 01 जून, 2020 निर्गत किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत मनरेगा जाबकार्ड धारक किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्यरत् फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हुए लेमनग्रास, पामारोजा, खस, सहजन तथा बॉस के रोपण कार्यक्रम को सम्पूर्ण प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया गया है।

अतः गैर वेतन मद में प्राप्त बजट से वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित कार्य कराया जाना प्रस्तावित है:–

1. तीन दिवसीय कृषक उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम –300 युवा/किसान,
   अनुमानित व्यय–रू0 20.00 लाख।
2. बी0ई0एम0सी0 माडल बायोगैस इकाईयों की स्थापना–20 इकाई,
   अनुमानित व्यय–रू0 4.00 लाख।
3. जनपद हमीरपुर में बोर्ड के सहयोग से कार्यरत् फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियॉ तथा कृषि विज्ञान केन्द्र–बुन्देलखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बॉदा के सहयोग से 05 एकड़ रकबे पर टिसू कल्चर खजूर तथा 05 एकड़ रकबे पर जैतून का प्रायोगिक प्रदर्शन रोपण,
   अनुमानित व्यय–रू0 10.00 लाख।
4. किसानोंपयोगी साहित्य का प्रकाशन, कार्यालय व्यय, परिवहन व्यय, यात्रा व्यय तथा अन्य व्यय मद में अनुमानित व्यय–रू0 12.00 लाख।

उक्त के अतिरिक्त वेतन मद में जेम–पोर्टल के माध्यम से आऊट सोर्सड कार्मिकों के मानदेय का भुगतान कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण को मा0 कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
(कार्यवाही : नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–5 : प्रदेश में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के निरन्तरता को बनाये रखने हेतु तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित करना ।

कार्यवाही : बोर्ड द्वारा प्रदेश के किसानों/युवाओं को कृषक उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें पूर्ण स्वरोजगारी/आत्म निर्भर बनाने का कार्य सतत रूप से जारी है। इन प्रशिक्षित कृषक उद्यमियों

द्वारा अपने–अपने जनपदों में किसानों/युवाओं को प्रशिक्षित कर संगठित करते हुए बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन तथा पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाये जाने का कार्य निरन्तर जारी है। वर्तमान में 44 जनपदों में कुल 146 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों से लगभग 60 हजार से अधिक किसान जुड़कर अपनी बेहतर जीविका के संसाधनों को प्राप्त कर रहे हैं। इन किसानों के उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को गॉव स्तर पर ही कृषि आधारित छोटी–छोटी इकाईयों (आसवन संयंत्र, छोटी दाल मिल, तेल मिल, आटा मिल इत्यादि) के माध्यम से सतत रोजगार/स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहें हैं। कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित एन0एफ0एस0एम0 योजना, एम0एम0ओ0 योजना इत्यादि का लाभ भी बोर्ड के तकनीकी सहयोग द्वारा गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को मिलना प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान खरीफ सत्र में 22 कम्पनियों को बोर्ड के तकनीकी समन्वय से एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द तथा धान के क्लस्टर स्वीकृत हुए हैं।

बोर्ड के इन प्रयासों को देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्फूर्ति योजना के अन्तर्गत बोर्ड को तकनीकी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना अन्तर्गत बोर्ड के तकनीकी समन्वय से राज्य सरकार के संसाधनों पर बिना अतिरिक्त अधिभार के कृषक उद्यमिता विकास के असंख्य अवसरों का सृजन आसानी से किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा स्फूर्ति योजनान्तर्गत 15 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्रस्ताव तैयार कर राज्य नोडल एजेन्सी (स्फूर्ति योजना) को तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को जोड़ते हुए कृषि एवं औद्यानिकी आधारित प्रसंस्करण इकाईयों के प्रस्ताव भी तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। एन0एम0पी0बी0, भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के सहयोग से इम्यूनिटी तथा न्यूट्रिशन विकास कार्यक्रमों को संचालित किये जाने के निर्देश बोर्ड को प्रदान किया गया। इस प्रयास से समय–समय पर विभिन्न विकास योजनाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से तकनीकी समन्वय करते हुए कृषक उद्यमिता विकास को प्रदेश के प्रत्येक गॉव तक पहुँचाया जा सके।

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा गोबर धन योजना के अन्तर्गत बी0ई0एम0सी0 मॉडल बायो–गैस संयंत्रों की स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड द्वारा विभिन्न जनपदों में इस पर किये गये सफल प्रयोगों एवं उससे किसानों/ग्रामीणों को होने वाले लाभ के आलोक में समिति के संज्ञान में लाया गया कि इसके लागू होने से जहां एक ओर विकेन्द्रीकृत स्तर पर ठोस जैव अपशिष्टों के प्रबन्धन से वातावरण संरक्षण हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा वहीं सम्बन्धित लाभार्थी किसान/ग्रांमीण को कुकिंग हेतु स्वच्छ गैसीय ईंधन प्राप्त होगा और साथ ही उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक मैन्योर भी प्राप्त होगी। इससे आर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संयंत्र की स्थापना हेतु एक खास प्रकार के लोहे के सांचे की आवश्यकता होती है। यह साँचा एक बार निर्मित होने के बाद एक लम्बे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के क्रम में निर्णय हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक सेट सांचा मयसरंजाम की व्यवस्था हेतु पंचायतीराज विभाग आवश्यक कार्यवाही करे। उक्त के आलोक में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन कार्यक्रम तथा उसे निरंतर क्रियाशील रखने हेतु बोर्ड को तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करने की सहमति मा0 कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

(कार्यवाही : कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–6 : बोर्ड के नवीनीकरण का प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।

<u>कार्यवाही</u> : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड का गठन नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–40/2015/1261/35–1–2015–2/1(86)/2014 दिनांक 03, दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत हुआ। इसकी पंजीयन संख्या–2080 तथा पंजीयन दिनांक 22.12.2015 है। इसका पंजीयन प्रमाण–पत्र दिनांक 21.12.2020 तक विधिमान्य है। इसके नवीनीकरण का कार्य समय से क्रियान्वित किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
(कार्यवाही : नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–7

<u>ज्वॉइण्ट एक्सप्रेशन ऑफ इण्टेण्ट/एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना</u>

1. बोर्ड तथा 2030 वाटर रिसोर्सेस ग्रुप वर्ल्ड बैंक।
   <u>उद्देश्य</u>– प्रदेश में स्थापित होने वाली फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर उनके व्यावसायिक क्रियाकलापों की निरंतरता बनाये रखने हेतु आने वाली प्रक्रियागत समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करना।
2. बोर्ड तथा एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
   <u>उद्देश्य</u>– एमिटी यूनिवर्सिटी के अन्तिम वर्ष के छात्रों की काउंसिलिंग कर उन्हें कृषक उद्यमिता विकास कार्यक्रम से जोड़ना, तकनीकी विकास हेतु आवश्यक शोध कार्यों का कियान्वयन करना इत्यादि।

<u>कार्यवाही</u>–

सदस्य संयोजक द्वारा उक्त प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किया गया। दोनों ही प्रस्तावों के उद्देश्यों को देखते हुए प्रदेश में क्रियान्वित किये जा रहे कृषक उद्यमिता विकास कार्यक्रम का कियान्वयन, गॉव स्तर पर ही रोजगार/स्वरोजगार के सतत् अवसरों के सृजन, कृषकों की आय वृद्धि इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होने के आलोक में इसे तत्काल हस्ताक्षरित किये जाने के निर्देश मा0 कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान किया गया।
संलग्नक–यथोक्त।

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन/
पदेन उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
कक्ष सं0–534–535, पाँचवा तल, योजना भवन, लखनऊ,
पत्रांक– 241 /उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2020
लखनऊ : दिनांक– 25 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   नियोजन विभाग/वित्त विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/
   वन एवं पर्यावरण विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,
   उ0प्र0 शासन/पदेन सदस्य, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष आमंत्री सदस्य)।
3. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष आमंत्री सदस्य)।
4. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/पदेन अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक–2951/एमएस/एसजी/2020 दिनांक–10.08.2020 के अनुपालन के क्रम में अवगतार्थ।
6. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन/पदेन उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को महोदय के अवगतार्थ।
7. नियोजन अनुभाग–1
8. गार्ड फाइल।

25/8/2020

(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के मा0 कार्यकारी समिति की छठी बैठक दिनांक– 21.08.2020 का उपस्थिति पत्रक

समय–अपराह्न–04:00 बजे।
स्थान–कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय सभागार, सचिवालय, लखनऊ।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1.	डॉ0 नवनीत सहगल (सदस्य)	अपर मुख्य सचिव	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन
2.	डॉ0 देवेश चतुर्वेदी (विशेष आमंत्री सदस्य)	अपर मुख्य सचिव	कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन
3.	श्री बी0एल0 मीना (विशेष आमंत्री सदस्य)	प्रमुख सचिव	उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन
4.	श्री संजय सिंह (सदस्य)	सचिव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन
5.	श्री आर0एन0एस0 यादव (सदस्य)	विशेष सचिव	नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
6.	श्री विजय बहादुर वर्मा (सदस्य)	संयुक्त सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
7.	श्री पुष्पराज (सदस्य)	संयुक्त सचिव	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
8.	श्री गिरिजेश कुमार (सदस्य)	अनुसचिव	पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन
9.	श्री महेश चन्द्र (विशेष आमंत्री सदस्य)	सहायक निदेशक, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम	कृषि विभाग, उ0प्र0

21/8/2020

(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

U. P. State Bio-energy Development Board

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

के मा० कार्यकारी समिति की छठी बैठक दिनांक :–21.08.2020, समय :–अपरान्ह 4:00 बजे, स्थान :– कृषि उत्पादन आयुक्त, सभागार, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, में उपस्थित सदस्य/पदाधिकारियों के फोटोग्राफ्स।